भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3641

17 दिसंबर, 2024 को उत्तरार्थ

विषय: कृषि गतिविधियों के दौरान बच्चों का कीटनाशकों के संपर्क में आना

3641. श्रीमती प्रतिभा सुरेश धानोरकरः

क्या **कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या देश में कृषि गतिविधियों के दौरान कीटनाशकों के छिड़काव के कारण बच्चों की मृत्यु हुई है या उन्हें चोट लगी है;

(ख) क्या अस्पतालों को कीटनाशकों के छिड़काव और विषाक्तता के संपर्क में आए बच्चों और अन्य लोगों का ब्यौरा रखने के निर्देश दिए गए हैं; और

(ग) क्या सरकार के पास कीटनाशकों के ऐसे संपर्क से बच्चों को बचाने के लिए कोई योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क) से (ग): कीटनाशकों के छिड़काव के कारण बच्चों को चोट लगने या उनकी मृत्यु के आंकड़े केंद्रीय स्तर पर उपलब्ध नहीं हैं। भारत सरकार कीटनाशकों के निर्माण और उपयोग को कानून (कीटनाशक अधिनियम, 1968 और कीटनाशक नियमावली, 1971) के माध्यम से नियंत्रित करती है। मनुष्यों या जानवरों को जोखिम से बचाने के लिए कीटनाशकों की प्रभावकारिता और उससे सुरक्षा सुनिश्चित करने के बाद ही देश में कीटनाशकों के उपयोग की अनुमति दी जाती है। किसानों की जानकारी के लिए कीटनाशकों के लेबल और लीफलेट्स पर खुराक, फसल, एहतियाती उपाय, प्रतिकारक आदि का विवरण निर्धारित किया जाता है ताकि सुरक्षित और विवेकपूर्ण उपयोग किया जा सके। इसके अतिरिक्त, कीटनाशकों के लेबल में विषाक्तता के स्तर के आधार पर रंगीन विषाक्तता त्रिकोण भी छपे होते हैं। श्रेणी-I अत्यंत विषाक्त, श्रेणी-II अत्यधिक विषाक्त, श्रेणी-III मध्यम विषाक्त और श्रेणी-IV थोड़ा विषाक्त होती है। लेबल पर "बच्चों की पहुंच से दूर रखें", "जहर", "खतरा" और "सावधानी" जैसे चेतावनी कथन अनिवार्य रूप से लिखे जाते हैं ताकि आवश्यक सावधानी बरती जा सके।

केंद्रीय एकीकृत नाशीजीव प्रबंधन केंद्र (सी.आई.पी.एम.सी.), कृषि विज्ञान केंद्र (के.वी.के.) और राज्य कृषि विभाग, किसानों और कीटनाशक डीलरों के बीच कीटनाशकों के उचित उपयोग और हैंडलिंग तथा कृषि गतिविधियों के दौरान छिड़काव करते समय बरती जाने वाली आवश्यक सावधानियों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए किसान फील्ड स्कूल, एच.आर.डी. कार्यक्रम और किसान गोष्ठी जैसे विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करते हैं।

*****